

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 128/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
माली समाज मुक्तिधाम (श्मशान घाट) बालोतरा जरिये कार्यकारी अध्यक्ष श्री,माणकचन्द पुत्र श्री पूनमचन्द गहलोत जाति माली निवासी गांधीपुरा, बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत,अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 05.01.2023

01. संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि माली समाज का श्मशान घाट वक्त सेटलमेंट पूर्व से आदिनांक तक लूणी नदी के किनारे खसरा संख्या 593 व 595 को सम्मिलित करते हुए जुड़ता अवस्थित है। माली समाज हिन्दु रीति रिवाज को धारित करता है। समाज के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार समाज के रीति-रिवाज के अनुसार बालोतरा क्षेत्र में लूणी नदी के किनारे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित वर्षों से माली समाज श्मशान घाट में किये जा रहे हैं। वहां पर माली समाज के



5.1.2023  
उपखण्ड अधिकारी  
(D.D.O.) बालोतरा



द्वारा काट की लकड़ी रखने एवं दाह-संस्कार के उपयोग में आने वाले सामान व बर्तनों को रखने हेतु हाल व कमरों का निर्माण किया हुआ है, जिसका उपयोग माली समाज द्वारा विगत 80 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है, जिससे किसी को कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। वक्त सेटलमेंट सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा बिना जांच पड़ताल किये ही माली समाज श्मशान घाट का राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकिन नदी में अंकन किया गया, जबकि श्मशान घाट गैर मुमकिन नदी में न होकर आबादी भूमि में अवस्थित है। उक्त भूखंड लूणी नदी के सीमा के भीतर नहीं है और न उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरा संख्या 529, 747, 870, 950, 1106, 1741/982 के भाग पर अतिक्रमण/अवरोध ही किया गया है। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने विवादित माली समाज श्मशान घाट भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमांकन करते हुए माली समाज श्मशान घाट परिसर को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकॉर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। जबकि माली समाज श्मशान घाट खसरा संख्या 593 व 595 को सम्मिलित करते हुए जुड़ता स्थित होने से आबादी खसरे में अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी राजस्व रेकॉर्ड में हो रखें गलत इन्द्राज को निरस्त करवाते हुए, माली समाज श्मशान घाट परिसर को खसरा संख्या 593 व 595 को सम्मिलित करतें हुए जुड़ता स्थित होने से रेकॉर्ड में श्मशान घाट इन्द्राज करवाने एवं नक्शा तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

02. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश कर प्रार्थी के आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया।

03. विवादित भूमि की मौका एवं रेकॉर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु अदालत द्वारा कमेटी गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी ने अपनी जांच

रिपोर्ट उपलब्ध करवाई।



*(Signature)*  
5.1.2023  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

4. प्रार्थी की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में डी.बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 544/2020 के आदेश की फोटोप्रति, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत डी.बी सिविल मिस. एप्लीकेशन की छायाप्रति, छाया प्रति माली समाज द्वारा दिनांक 17.12.2020 को प्रशासन को दिये पत्र की प्रति, छाया प्रति नक्शा, छाया प्रति बिजली कनेक्शन बिल की प्रति व मौका स्थिति की फोटोप्रति पेश की गई।

05. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि सरहद मौजा बालोतरा में स्थित लूणी नदी के खसरा संख्या 529,747,870,950,1106,1741/982 कुल रकबा 1753.14 बीघा पर तथाकथित अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटिशन संख्या 544/2020 प्रस्तुत की गई, जिस पर प्रार्थी द्वारा D.B Civil INTERLOCUTORY APPLICATION NO. 20/2020 प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, कि माली समाज का श्मशान घाट सेटलमेंट पूर्व से आदिनांक आबादी भूमि बालोतरा क्षेत्र में अवस्थित है, माली समाज हिन्दु रीति रिवाज को धारित करता है। समाज के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार समाज के रीति-रिवाज के अनुसार बालोतरा क्षेत्र में लूणी नदी के किनारे तक बहुत दूर स्थित श्मशान घाट विगत 80 वर्षों से अधिक समय से दाह-संस्कार के लिए प्रयुक्त हो रहा है। वहां पर माली समाज के द्वारा काठ की लकड़ी रखने एवं दाह-संस्कार के उपयोग में आने वाले सामान व बर्तनों को रखने हेतु हाल व कमरों का निर्माण किया हुआ है, जिसका उपयोग माली समाज द्वारा विगत 80 वर्षों से करता आ रहा है, जिससे किसी को कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। वक्त सेटलमेंट सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा बिना जांच पड़ताल किये ही माली समाज श्मशान घाट राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन नदी में अंकन किया गया, जबकि श्मशान घाट गैर मुमकिन नदी में न होकर आबादी भूमि में अवस्थित है। उक्त भूखंड लूणी नदी के सीमा के भीतर नहीं है और न उक्त माली समाज



*(Signature)*  
5.1.2023  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

शमशान घाट के जरिये लूणी नदी के खसरा संख्या 529,747,870,950,1106,1741/982 के भाग पर अतिक्रमण/अवरोध ही किया है। प्रार्थी का शमशान घाट लूणी नदी के समीप होने के कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से सीमांकन करते हुए विवादित शमशान घाट को गैर-मुमकिन नदी में दर्शाते हुए रेकॉर्ड में अंकन कर दिया गया,इससे स्पष्ट है कि माली समाज शमशान घाट आबादी भूमि में अवस्थित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा रामय-समय पर किये गये सर्वे में गलत तथ्यों के आधार पर विवादित माली समाज शमशान घाट को गै.मु.नदी में रेकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया गया,जो कि अंदिनाक रेकॉर्ड व नक्शा में विवादित माली समाज शमशान घाट भूमि का गलत अंकन इन्द्राज होता आ रहा है,जो कि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि में होने के कारण रेकॉर्ड व राजस्व नक्शा दुरुस्ती योग्य है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि माली समाज शमशान घाट आबादी भूमि में अवस्थित होने के उपरांत भी गैर-मुमकिन नदी में दर्शा दिया गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से माली समाज शमशान भूमि के हितबद्ध पक्षकारान को बिना सुनवाई के अवसर दिये आबादी भूमि में होने के उपरान्त भी विवादित शमशान घाट को गैर मुमकिन नदी में इन्द्राज कर दी थी,जो कि सरासर गलत तथ्यों के आधार पर रेकॉर्ड इन्द्राज हुआ था। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर माली समाज शमशान घाट को खसरा संख्या 593 व 595 को सम्मिलित करते हुए जुड़ता स्थित होने से राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त कर माली समाज शमशान घाट भूमि राजस्व अभिलेख व नक्शे में तरमीम दुरुस्ती करवाने का आदेश फरमाया जावे।

इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है,कि प्रार्थी की ओर से आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर किया है,जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था,प्रथम सेटलमेन्ट में जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी,जिसका रकवा राजस्व रेकॉर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया,तो नदी के बहाव क्षेत्र एवं पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया

5.1.2013

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

था, जो वक्त सेटलमेंट सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया कि सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का वारीकी से सर्वे करवाते हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भरवा क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार माली समाज श्मशान घाट परिसर गैर मुमकिन नदी में निर्मित किया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। विवादित श्मशान घाट आबादी भूमि में न होकर गैर मुमकिन नदी भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी श्मशान घाट परिसर की रेकॉर्ड दुरुस्ती करवाने का हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित श्मशान घाट परिसर गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया, कि राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है, जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेंट के सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकॉर्ड स्थिति अनुसार रेकॉर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख के प्रवेश लक्टा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में हैं, जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है। क्योंकि प्रार्थी जिस भू-भाग पर काबिज होना बता रहे हैं, गत सेटलमेंट अनुसार खसरा नम्बर 982 गैर मुमकिन नदी है एवं वर्तमान सेटलमेंट अनुसार भी खसरा नम्बर 1741/982 गैर मुमकिन नदी है। साथ ही अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया कि पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला क्लर्क बाड़मेर के आदेश दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध



23/11/23  
5.1.2023  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 249 व 250 का भाग होना बताया गया था। जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रिकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। लेकिन प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड मय दस्तावेजात का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136, आर. एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही गई कि माली समाज श्मशान घाट वक्त सेटलमेंट पूर्व से आदिनांक लूणी नदी के किनारे खसरा संख्या 593 व 595 को सम्मिलित करते हुए जुड़ता स्थित है, मौके की स्थिति अनुसार माली समाज श्मशान घाट परिसर के आस-पास अन्य परिसर भी बने हुए है। लेकिन माली समाज श्मशान घाट परिसर खरा संख्या 593 व 595 को सम्मिलित करते हुए जुड़ता स्थित होने के उपरांत भी श्मशान घाट भूमि इन्द्राज करने के बजाय सेटलमेन्ट विभाग के राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से माली समाज श्मशान घाट परिसर को

श्मशान घाट भूमि में इन्द्राज नहीं करते हुए गैर मुमकिन नदी में रिकॉर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई। जो आदिनांक गलत तरीके से किया गया रिकॉर्ड इन्द्राज चला आ रहा है, जिसे निरस्त करते हुए विवादित भूमि श्मशान घाट होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शों में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। जबकि तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.8.2022 में स्पष्ट अंकन किया है कि माली समाज श्मशान घाट परिसर वर्तमान भू प्रबंध के खसरा संख्या 1741/982 में काबिज है, जो गैर मुमकिन नदी है। इस प्रकार प्रार्थी जिस भू-भाग पर काबिज होना बता रहे हैं, वह सेटलमेन्ट अनुसार भी गैर मुमकिन नदी में आता है, इससे स्पष्ट है कि



उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा  
5.1.2023

विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी के अन्दर अवस्थित है, जो एक प्रकार से अतिक्रमण ही माना जा सकता है। जबकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट सन् 1955 में हुआ था तथा द्वितीय सेटलमेन्ट सन् 1967 में हुआ था। तत्समय सेटलमेन्ट विभाग के सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा विस्तृत सर्वे करते हुए मौका व रिकॉर्ड स्थिति अनुसार रिकॉर्ड संधारण किया था, जो कि विवादित श्मशान घाट परिसर आबादी में नहीं होकर गैर मुमकिन नदी का ही भाग है। इस प्रकार अदालत का यह मानना है, कि माली समाज श्मशान घाट परिसर की रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने का हकदार प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक रिकॉर्ड में गैर मुमकिन नदी इन्द्राज है। प्रथम सेटलमेन्ट को हुए लगभग 65 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और उसके बाद द्वितीय सेटलमेन्ट भी हो चुका है। इतने वर्षों तक प्रार्थी द्वारा माली समाज श्मशान घाट परिसर के रिकॉर्ड दुरुस्ती संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस बिन्दु के संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब/तर्क नहीं दिये गये। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे साबित होता हो कि विवादित श्मशान घाट भूमि गैर मुमकिन नदी में न होकर बाहर अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किये हैं, कि प्रार्थी की भूमि गैर मुमकिन नदी में नहीं आती है, यह तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मौखिक कथन से राहत प्रदान नहीं की जा सकती है, इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों का होना आवश्यक है। इससे स्पष्ट साबित होता है कि माली समाज श्मशान घाट परिसर गैर-मुमकिन नदी का ही भाग है। अदालत के ध्यान में यह भी आया है कि प्रथम भू प्रबंध के समय एवं उसके पश्चात माली समाज श्मशान घाट का किसी प्रकार का टाइटल नहीं है, जिससे कि वह भू प्रबंध की प्रक्रिया

चुनौती दे सकें। हमारे द्वारा प्रथम भू प्रबंध एवं द्वितीय भू प्रबंध के खसरा संख्या का

अवसूचन किया गया, प्रश्नगत प्रकरण सूओ-मोटो (suo moto) अब्दुल रहमान बनाम सरकार

से पूर्णतया चरपा होता है। जिसके अनुसार जल प्रवाह क्षेत्र में किसी प्रकार का भौतिक एवं

राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, न ही किसी प्रकार का ऑवटन, नियमन

इत्यादि किया जा सकता है। प्रार्थी अपना टाइटल अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं कर सके हैं।



5.1.2023  
 उप खण्ड अधिकारी  
 (S.D.O.) बालोतरा

प्रति भू प्रबंध सेन्टलमेंट सन 1967 में हुआ है, जो आदिनांक तक प्रभावी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 से लागू है, जिसके अनुसार धारा 16 नदी प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। अतः अवलोकन से सिद्ध है, कि सुपर इम्पोजिशन में भी उक्त खसरा नदी का भू भाग/जल प्रवाह क्षेत्र में है। इस प्रकार प्रार्थी टाईटल व मौका अनुसार किसी प्रकार का सामर्थ नहीं रखते हैं। अदालत द्वारा समुचित विवेचन किये जाने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची है, कि आवेदन में ऐसा कोई सारभूत तथ्य व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे स्पष्ट हो सके कि माली समाज श्मशान घाट भूमि की तरमीम दुरुस्ती योग्य हों। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यों को आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

8. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट प्रकरण में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।



आदेश आज दिनांक 5.1.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

*(Handwritten signature)*

(विवेक व्यास)  
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा  
(S.D.O.) बालोतरा

*(Handwritten signature)*

5.1.2023  
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा  
(S.D.O.) बालोतरा